

**प्रेस नोट-**  
**थाना सकरार, झाँसी**

**दिनांक- 25/03/2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को थाना सकरार पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्ता पिन्की पत्नी उपेन्द्र कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम कबूतरा डेरा कस्बा सकरार थाना सकरार जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सकरार पर मु०अ०सं०-48/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**मु०अ०सं० –**

मु०अ०सं०-48/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम

**नाम व पता अभियुक्ता** – अभियुक्ता पिन्की पत्नी उपेन्द्र कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम कबूतरा डेरा कस्बा सकरार थाना सकरार जनपद झाँसी

**बरामदगी** – 20 ली० अवैध कच्ची शराब

**गिरफ्तारी का स्थान-** झाड़ी बाबा गेस्ट हाउस सकरार के बगल से आदिवासी मोहल्ला जाने वाली रास्ता नीम के पेड़ के नीचे थाना सकरार जनपद झाँसी

**कार्यवाही करने वाली टीम के अधि०/कर्म गण का नाम-**

- 1 – अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सकरार जनपद झाँसी
- 2 – उ०नि० रामेन्द्र सिंह थाना सकरार जनपद झाँसी
- 3- का० 231 बोबी सिंह थाना सकरार जनपद झाँसी
- 4 – म०का० 1333 सपना कुमारी थाना सकरार जनपद झाँसी

